फर्द अहकाम
प्रसन्न देवी बनाम छोटू वगै0

नाम न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी फागी
केस संख्या:– 16/2025 T.I.

क्र.स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05-03-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री दौलतराम जाट एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खाता सं. 157 के खसरा नं. 1, 391, 392, 393, 417, 418, 420, 421, 455, 460, 461, 462 कुल किता 12 कुल रकबा 11.2163 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम कैरिया तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात की मौका एवं रिकार्ड यथास्थिति बनाए रखे। उक्त अन्तरिम टीआई आदेश सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवानें एंव नवीन रास्ता चाहने, विद्युत कनेक्शन व. विद्युत लाईन डालने, न्यायालय में विचाराधीन राको रोडा व अन्य राजकीय वसूली के प्रकरण में व भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के क्रम में लागू नहीं होगी। प्रार्थी के अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें। आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथ से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन व्यक्तियों के तहत यह अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि यह उपरोक्तानुसार अप्रार्थी पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 1 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन/वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 21.04.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी	
	27/3/25	आज यह पत्रावली वकील प्रार्थी द्वारा मौखिक निवेदन करने पर तलब की गई। वकील प्रार्थी ने अपने मूलवाद को नाट प्रेस कर खारिज करवा लिया है। इस लिए अब इस प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रा. पत्र T.I. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं. से कम हो दाखिल दफ्तर रहे। उपखण्ड अधिकारी फागी	Not Press [signature]

...ेसील तहसील फागी जिला जयपुर।